न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :– आशाराम डूडी आर.ए.एस.

(1) अपील संख्या 2018 / 00435 (318 / 2018) 75 एलआरएक्ट

कौर सिंह पुत्र मुखत्यार सिह जाति जटसिख उम्र 70 साल निवासी चक 22 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ —अपीलाण्ट

बनाम

सुखमन्द्रसिह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एसएसडब्लयू तहसील व जिला हनुमानगढ राज0 —रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 01.06.2018 प्रकरण संख्या 169 / 2014 बअनवानी सुखमन्द्र सिह बनाम कौर सिंह

श्री बहादुर राम स्वामी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री धीरसिंह बराड़ अधिवक्ता रेस्पो0

(2) अपील संख्या 2018 / 00441 (323 / 2018) 75 एलआरएक्ट

कौर सिंह पुत्र मुखत्यार सिंह जाति जटसिख उम्र 70 साल निवासी चक 22 एसएसडब्ल्यू तहसील व जिला हनुमानगढ —अपीलाण्ट

बनाम

सुखमन्द्रसिह पुत्र करनैल सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 एसएसडब्लयू तहसील व जिला हनुमानगढ राज0 —रेस्पोडेण्ट

विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ के निर्णय दिनांक 05.06.2017 प्रकरण संख्या 23 / 2015 बअनवानी सुखमन्द्र सिह बनाम कौर सिंह

श्री बहादुर राम स्वामी अधिवक्ता अपीलाण्ट
श्री धीरसिंह बराड़ अधिवक्ता रेस्पो0

निर्णय दिनांकः—27.02.2020

1. रेस्पोडेण्ट सुखमन्द्र सिंह ने एक प्रार्थना—पत्र कॉलोनी कन्डीशन के तहत कन्डीशन 8(2) का पेश कर अपीलाण्ट के चक 24 एसएसडब्ल्यू के प. नं. 114/316 के किला नं. 1 में उत्तरी तरफ व दक्षिण तरफ रास्ता स्वीकृत करने का निवेदन किया। प्रार्थी अपीलाण्ट ने अपने जवाब में लिखा कि रेस्पोडेण्ट को अपनी भूमि में जाने के लिए अन्य रास्ता उपलब्ध है जिससे वह आना जाना करता है जिस जगह रेस्पोडेण्ट रास्ता चाहता है वहां पक्का सरकारी खाला बना हुआ है। अपीलाण्ट स्वीकृत नक्का है और डिग्गी से पाईप लाईन डाली है। इस पर तहसील से रिपोर्ट मांगी गई और दिनांक 01.06.2018 को अपीलाधीन आदेश पारित किया, जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट ने यह अपील प्रस्तुत की है।
2. इसके अतिरिक्त अपीलाण्ट ने भी चक 24 एसएसडब्ल्यू के प0 नं09 114/316 मु0 नं0 38 के किला नं. 21 ता 25 व प0 नं. 115/316 मु0 नं0 37 के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में चालू 2—2 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करने बाबत प्रार्थना—पत्र पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय में 23/15 पर दर्ज हुआ जिसमें दिनांक 05.06.2017 को खारिज किया गया था। जिसके विरूद्ध भी अपीलाण्ट ने अपील संख्या 2018/00441 (323/2018) कौर सिंह बनाम सुखमन्दर सिह प्रस्तुत की है।
3. उक्त दोनों प्रार्थना—पत्र रेस्पोडेण्ट एवं अपीलाण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये थे जिसमें अलग अलग रास्ते स्वीकृत के निवेदन थे जो कि एक दूसरे रास्ता के विकल्प थे। दोनों प्रार्थना—पत्र को कंसोलीडेट करते हुए एक साथ निर्णय किया जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया है।
4. उभयपक्ष की बहस सुनी गई।
5. विद्वान अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन कि कि रिपोर्ट अधूरी है इस रिपोर्ट पर निर्णय नहीं हो सकता पुनः रिपोर्ट मंगवाई जावे रिपोर्ट आने पर दोनों पक्षों को सुनकर निर्णय पारित किया जावेगा पर अदालत मातहत ने बिना अपीलाण्ट को सुने निर्णय अभियान में किया लिखा दिनांक 01.06.2018 लगा दी को काबिल खारिजी है। अदालत मातहत ने 01.06.2018 को अभियान में लिखा दिखाया है कि रिपोर्ट तहसील नहीं आई रिपोर्ट मंगवाई जावे उसी समय 01.06.2018 को रिपोर्ट आना दिखा निर्णय पारित कर दिया। मातहत अदालत ने प्रार्थी का प्रार्थना—पत्र कॉलोनी कन्डीशन 8 (2) का स्वीकार कर निर्णय पारित किया है जबकि उक्त नियम राज्य सरकार व उच्च न्यायालय द्वारा खारिज किया जा चुका है। राजस्व अभियान के तहत सिर्फ आपसी सहमति के निर्णय ही पारित किये जा सकते हं जबकि उक्त मामला में दोनो पक्षों में

विवाद था व आज भी है विवादित तथ्य व बिन्दू का निर्णय एकपक्षीय रूप से अभियान में नहीं किया जा सकता इस पर राजस्व मण्डल का निर्णय पूर्व में हो चुका है। मामला रास्ता का है जिसमें स्वयं अदालत मातहत को मौका निरीक्षण करना था पर ना तो स्वयं ही मौका देखा व ना ही तहसीलदार ने ही मौका निरीक्षण कर रिपोर्ट की राजनैतिक दबाव में आकर एक जगह बैठकर तमाम कार्यवाही की गई लगती है। प्रार्थी को बाद अथीयान नियत दिनांक 24.08.2018 को पता चला जिस दिन पत्रावली पेशी में नहीं आने से पत्रावली पेशी में नहीं आने से पत्रावली तलाशी गई इस प्रकार इससे पूर्व कतई इस प्रकार के आदेश का इल्म नहीं था। अपील ज्ञान से अन्दर मियाद है जो स्वीकार की ज़ाकर अधीनस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय निरस्त किया जावे।

6. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने अपनी बहस में कथन किया अपीलाधीन निर्णय तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त होने पर पारित किया गया है। दिनांक 01.06.2018 को आगामी पेशी नहीं दी गई थी। उसी दिन रिपोर्ट आने पर अपीलाधीन निर्णय उभयपक्ष को सुनकर पारित किया गया है। विचारण न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय विधि सम्मत है अपील अपीलाण्ट खारिज की जावे।
7. उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया।
8. अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेण्ट ने चक 24 एसएसडब्ल्यू के प. नं. 114/316 के किला नं. 1 में से उत्तर तरफ या दक्षिण तरफ रास्ता स्वीकृत करने का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया था जो दिनांक 01.06.2018 को स्वीकार किया गया है। जिसका मु. नं. 169/2014 था और जिसके विरूद्ध अपील संख्या 2018/00435 (318/2018) कौर सिंह बनाम सुखमन्दर सिह प्रस्तुत की गई है।
9. उपरोक्त प्रार्थना–पत्र के अतिरिक्त अपीलाण्ट ने भी चक 24 एसएसडब्ल्यू के प0 नं09 114/316 मु0 नं0 38 के किला नं. 21 ता 25 व प0 नं. 115/316 मु0 नं0 37 के किला नं. 21 ता 25 प्रत्येक में चालू 2–2 बिस्वा रास्ता को स्वीकृत करने बाबत प्रार्थना–पत्र पेश किया जो अधीनस्थ न्यायालय में 23/15 पर दर्ज हुआ जिसमें दिनांक 05.06.2017 को खारिज किया गया था। जिसके विरूद्ध भी अपीलाण्ट ने अपील संख्या 2018/00441 (323/2018) कौर सिंह बनाम सुखमन्दर सिह प्रस्तुत की है।
10. उक्त **दोनों प्रार्थना–पत्र अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट ने अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत किये थे जिसमें अलग अलग रास्ते स्वीकृत के निवेदन थे जो कि एक दूसरे रास्ता के विकल्प थे। दोनों प्रार्थना–पत्र को कंसोलीडेट करते हुए एक साथ निर्णय किया**

जाना अपेक्षित था जो नहीं किया गया है। अभियान में राजीनामा से ही मुकदमों का निस्तारण होता है इन दोनों के राजीनामा की सहमति नहीं थी जो आगे नियमित सुनवाई हेतु रखी गई पर दिनांक 01.06.2018 को मौका रिपोर्ट नहीं आने का आदेशिका में अंकन आया है उसके पश्चात् उसी दिन अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है जिसमें अपीलाण्ट को सुना नहीं गया है और सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया है। इस न्यायालय के मतानुसार दोनों प्रार्थना–पत्रों में वांछित रास्ते एक दूसरे के विकल्प हैं जिन पर मौका रिपोर्ट प्राप्त कर उभयपक्ष को पुनः सुनवाई का असर देकर निर्णय पारित किया जाना अपेक्षित है। अतः उक्त दोनों अपीलें स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालय के दोनों अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाने योग्य है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाने योग्य है कि उभयपक्ष को दोनों प्रार्थना–पत्र को कंसोलीडेट करते हुए मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे।

11. उपरोक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर उक्त दोनों अपीलें स्वीकार की जाती है एवं अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 169/2014 में पारित निर्णय दिनांक 01.06.2018 व अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 23/2015 में पारित निर्णय दिनांक 05.06.2017 दोनों अपीलाधीन आदेश खारिज किये जाते है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किये जाते है कि दोनों प्रार्थना–पत्र को कंसोलीडेट करते हुए मौका रिपोर्ट प्राप्त कर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड 23/2015 अपील में आया नहीं है लेकिन अधीनस्थ न्यायालय के प्रकरण संख्या 169/2014 संलग्न आया है जो निर्णय की प्रमाणित प्रति सहित भिजवाया जावे। निर्णय की प्रति दोनों अपील की पत्रावली में अलग अलग रखी जावे। उभयपक्ष अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 28.04.2020 को उपस्थित हों। पत्रावली निर्णित शुमार व नम्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर हो।

12. निर्णय आज दिनांक 27.02.2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(आशाराम डूडीआरएएस)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
हनुमानगढ

Signature Not Verified
Digitally signed by Asha Ram Dudi
Date: 2020.03.23 12:54:53 IST
Reason: SelfAttested
Location: